आदेश पत्रक

न्यायालय : उपजिलाधिकारी
मण्डल :आगरा,जनपद :मथुरा,तहसील :छाता
वाद संख्या :-00736/2019
कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या :-T201901500300736
बृजेश बनाम उ0प्र0सरकार
अंतर्गत धारा:- 80, अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

प्रार्थी बृजेश पुत्र हरीसिंह निवासी हरीपुरा भाग बरहाना तह0 छाता ने धारा 80 उ0प्र0रा0सं0 से आच्छादित प्रार्थना पत्र दिनांक 04.12.2018 को आबादी घोषणा के लिए इस कथन के साथ प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी मौजा बरहाना के ख0सं0 617मि0 रकवा 4.287है0 पर सहसंक्रमणीय भूमिधर कास्तकार है। उक्त आराजी मे से 1672 वर्गमीटर पर कोई फसल नहीं है। भूमि मौके पर आवादी के प्रयोजन मे लाई जा रही है। उक्त भूमि मत्स्यपालन, कुक्कट पालन ,आदि कृषि से संबंधित कार्यो में प्रयोग नहीं हो रही है इसलिये प्रार्थी अपनी उक्त आराजी को आवादी घोषित कराना चाह रहे है। किसी भी वाद विवाद से पाक साफ है और सरकारी अधिग्रहण हेतु आरक्षित नही है। अंत मे अपनी उक्त भूमि को आवादी घोषित किए जाने की याचना की है। प्रार्थना पत्र के साथ अपना कथन समर्थित शपथ पत्र व नकल खतौनी की प्रति को संलग्न किया है।

इस मामले की गहन जांच तहसीलदार छाता से करायी गयी। जांच आख्या पत्रावली पर उपलब्ध है।

तहसीलदार छाता ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 03.04.2019 में कहा है कि प्रार्थी मौजा बरहाना के ख0सं0 617मि0 रकवा 4.287है0 पर संक्रमणीय भूमिधर कास्तकार है। उक्त आराजी मे से 1672 वर्गमीटर पर कोई फसल नहीं है। मौके पर निर्माण कार्य चल रहा है। नक्शा नजरी में गुलाबी रंग से प्रदर्शित आवादी हेतु प्रस्तावित भूमि मौके पर आवादी के प्रयोजन में लाई जा रही है। भूमि मत्स्यपालन, कुक्कट पालन ,आदि कृषि से संबंधित कार्यो में प्रयोग नहीं हो रही है और नही किसी सरकरी कार्य में अधिग्रहण की गई है। राष्ट्रीय राजमार्ग के चौडीकरण हेतु प्रस्तावित नही है। उक्त रकवा ग्राम सभा, चकरोड व धारा 132 में समाविष्ट भूमि मे सम्मलित नही है। तहसीलदार छाता ने लेखपाल/राजस्व निरीक्षक की उक्त भूमि को अकृषिक घोषित किए जाने संबंधित आख्या से सहमत होते हुए आख्यॉ को संस्तुति सहित प्रेषित किया है।

प्रार्थी के द्वारा उ0प्र0रा0सं0 2006 मे वर्णित प्रावधानो के अनुसार अकृषक भूमि घोषित कराने के लिए निर्धारित मद में मालियत का 1 प्रतिशत भारतीय स्टेट बैंक छाता मे चालान के द्वारा मु0 11704/रू0 को जमा कराया जायेगा एवं चालान को न्यायालय मे पत्रावलित किया जायेगा।

प्रार्थीगण के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर सुना गया एवं तहसीलदार छाता से प्राप्त रिपोर्ट दिनांक 03.04.2019 का गहनता से अवलोकन किया गया। तहसीलदार छाता ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 03.04.2019 मे अकृषक भूमि घोषित कराने हेतु प्रस्तावित खसरा सं0 617मि0 रकवा 1672 वर्गमीटर भूमि मौके पर निर्माणाधीन है और किसी भी प्रकार का कोई कृषि कार्य नही हो रहा है। प्रस्तावित भूमि के फोटोग्राफ संलग्न है। प्रार्थी के द्वारा निर्धारित मद मे गाटा सं0 617मि0 की मालियत का एक प्रतिशत मु0 11704/रू0 दिनांक 04.04.2019 को बैंक में जमा कर दिया गया है। उपरोक्तानुसार यह सिद्व हुआ है कि प्रस्तावित भूमि अकृषक घोषित किये जाने योग्य है।

अतः न्यायहित मे उपरोक्त विवेचना के आधार पर **प्रार्थी बृजेश पुत्र हरीसिंह निवासी हरीपुरा भाग बरहाना तह0 छाता तह0 छाता के नाम दर्ज मौजा बरहाना के खसरा सं0 167मि0 रकवा 1672 वर्गमीटर लगान 2.61रू0 भूमि को अकृषक घोषित किया जाता है। जॉच अधिकारी/ तहसीलदार छाता की जॉच रिर्पोट दिनांक 03.04.2019 एंव नक्शा नजरी व फोटोग्राफ इस आदेश का अंग होगा।** प्रार्थी के द्वारा उक्त आराजी की मालियत का एक प्रतिशत मूल्य का स्टाम्प शुल्क दाखिल किया जाय तदोपरान्त आदेश की प्रमाणित प्रति तहसीलदार छाता को माल कागजात में अमलदरामद हेतु एवं उप निबन्धक छाता को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित कर वाद पत्रावली को दाखिल दफ्तर कर दिया जाय।

दिनांक:- 05/04/2019

(रामदत्त राम)
उपजिलाधिकारी, छाता

न्यायालय उप जिलाधिकारी छाता मथुरा
वाद सं० 736/19 T201901500300736 धारा 80 रा० संहिता
ब्रजेश बनाम उ०प्र० सरकार
मौजा बरहना तह० छाता
संलग्न रिपोर्ट

महोदय,

संलग्न प्रार्थना पत्र ब्रजेश पुत्र/पत्नी श्री हरीसिंह निवासी हरीपुर [illegible] तहसील छाता जिला मथुरा द्वारा राजस्व ग्राम बरहना के गाटा सं० 617मि० रकवा 4.287 है० मेंसे 1672 व०मी० है० मालगुजारी 2.61 रू० को उ0प्र0 रा0संहिता की धारा 80 के अन्तर्गत आबादी घोषित कराने हेतु संयुक्त हस्ताक्षरित प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। आपके आदेश के अनुपालन में मेरे द्वारा स्थलीय निरीक्षण किया गया जिसके सम्बन्ध में जाँच आख्या निम्नवत है–

1–राजस्व ग्राम बरहना के गाटा सं0 617मि० रकवा 4.287 है० रू0 मालगुजारी 67.80 रू0 पर नाग संक्रमणीय भूमिधर के रूप में दर्ज अभिलेख है।

2–उपरोक्त भूमि पर प्रार्थी का ही कब्जा है।

3–उपरोक्त खसरा नम्बर में स्थल पर कोई फसल नहीं है। मौके पर खाली है तथा कृषि कार्य के प्रयोजन में नहीं लाई जा रही है।

4–प्रश्नगत भू[illegible] सम्बन्धी कार्य, पशुपालन, मत्स्य पालन, कुक्कट पालन, तथा बागबानी आदि के प्रयोजन में नहीं लायी जा रही है।

उक्त भूमि का उ0प्र0 रा0संहिता की धारा 80 के अन्तर्गत प्रारूप निम्न प्रकार है:–

क0सं0	खाता सं0	भू–स्वामी का नाम/पिता का नाम व निवास स्थान	खसरा सं0	क्षेत्रफल	भू–राजस्व	आबादी के प्रयोजन हेतु भूमि का विवरण			प्रयोजन
						खसरासं0	क्षेत्रफल	भू–राजस्व	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	01	ब्रजेश S/o हरीसिंह नि० हरीपुर ग्राम बरहना	617मि०	4.287	67.80रू०	617मि०	1672 व०मी०	2.61रू०	आवासीय [illegible]

मंतव्य – रकवा 617मि० कोसी–नन्दगाँव रोड पर मौजा बरहना में स्थित है जिसके मा० जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्धारित 7000000/- प्रति हैक्टेयर की दर से कीमत 1170400/- की बनती है जिसका 1% है रू० 11704-00 रू० होती है। रिपोर्ट सादर सेवा में प्रेषित है।

Kusal Lal
[illegible]
3/4/19

अतः उपरोक्त के अनुसार प्रार्थी की भूमि खसरा सं० 617मि० रकबा 1672व०मी० मालगुजारी 2.61रू० रू0 को उ0प्र0 रा0संहिता की धारा 80 के अन्तर्गत आबादी घोषित किये जाने हेतु आख्या महोदय की सेवा में सादर प्रेषित है।

3/4/19 महोदय लेखपाल आख्या सेवा में प्रेषित है।

संलग्नक:– उपरोक्तानुसार

राजस्व निरीक्षक [illegible]
3/4/19
तह० छाता

02/04/19